(6) (75)

न्यायालयः माननीय (~~अपर कलेक्टर~~) महोदय, ~~विदिशा~~ ॥म0प्र0॥

प्र0क्र0 /2015 निगरानी 1266-I-15

भारत शर्मा पुत्र श्री नंदकिशोर शर्मा उम्र 40 साल निवासी ग्राम माला तह0 कुरवाई जिला विदिशा ॥म0प्र0॥ ———निगरानीकर्ता/अ

बनाम

1. विन्त्रीबाई शर्मा पत्नि श्री ज्ञानसिंह शर्मा निवासी ग्राम माला तह0कुरवाई जिला विदिशा ॥म0प्र0॥
2. म0प्र0 शासन ———— अनावेदकगण

श्री राजकुमार सक्सेना अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 28-5-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत

28-5-15

30-5-15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू0रा0संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय कुरवाई प्र0क्र0 36ए/13-14 विन्त्रीबाई बनाम भारतशर्मा आर्डर शीट दि0 24/3/15 एवं 6/4/15 से दुखित होकर.

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्नानुसार संक्षिप्त तथ्य हैः-

यह कि निगरानीकर्ता की भूमि स्थित ग्राम माला तह0 कुरवाई जिला विदिशा में स्थित है। जिसका सर्वे आ0क्र0 347/1/1 रकबा 1.233हे0, है उक्त भूमि में से रकबा 0.575हे0, भूमि का विक्रय पत्र निगरानीकर्ता से विन्त्रीबाई शर्मा अनावेदकगण क्र0 1 ने 1,92,000/-रूपये करा कर शर्त मौखिक रूप से यह की थी कि उक्त रूपया निगरानीकर्ता से वापिस प्राप्त करूंगी व उक्त बयनामा पर नामांतरण नही कराऊंगी परंतु उक्त विन्त्रीबाई ~~xxxxx~~ को रूपया वापिस करने पर भी उसने उक्त निगरानीकर्ता से कराया गया बयनामा को वापिस नही किया और अपना नामांतरण ना0प्र0क्र0 13 पर दिनांक 18/7/2008 को ...

XXIX(a)-BR(H)-11

75

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1260-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	